भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2602

जिसका उत्तर 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

13 अग्रहायण, 1941 (शक)

निजता उल्लंघन और डेटा प्रोटेक्शन

2602. श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
डॉ.सुभाष रामाराव भामरे :
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
श्री कुलदीप राय शर्मा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत सभी निवेदनों का खुलासा किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जब तक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून अधिनियमित नहीं हो जाता है निजता उल्लंघन की व्यक्तिगत शिकायतों की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निजता उल्लंघन की कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ड.) क्या सरकार ने गैर-व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर एक समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गैर-व्यक्तिगत डेटा पर नीति बनाने हेतु लोगों से सलाह ली जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित गैर-व्यक्तिगत डेटा को बेचने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने दिनांक 31 जुलाई, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3(6)/2017-सीएलईएस के जरिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में निजी डाटा संरक्षण विधेयक संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 जुलाई, 2018 को प्रस्तुत कर दी है। समिति ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक पर एक मसौदा भी प्रस्तुत किया है। मसौदा विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श किए गए और विधेयक की सूचना सामग्री पर ओपन फीड बैक मांगे गए। वर्तमान में इस पर प्रक्रिया चल रही है और इस विधेयक को संसद के पटल पर रखा जाना प्रस्तावित है।

(ख) : जी, नहीं। इस विशिष्ट परामर्श प्रक्रिया के जवाब में किसी व्यक्ति/एजेंसी/कंपनी द्वारा मंत्रालय को लिखित किसी भी जानकारी को गोपनीय माना जाता है और इसका मतलब विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के संबंध में भावी प्राप्तकर्ता द्वारा पढ़ा जाना है और ऐसा कोई दस्तावेज सार्वजनिक प्रसार हेतु उपलब्ध नहीं है।

(ग) और **(घ)** : वर्तमान में, आईटी अधिनियम, 2000 (धारा 43 क) और सूचना प्रौद्योगिकी (युक्तिसंगत सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील निजी डेटा अथवा सूचना) नियमावली, 2011 के प्रावधानों के तहत, गोपनीयता उल्लंघन के खिलाफ राहत मांगी जा सकती है, जहां इस तरह की शिकायतों का निपटान अधिनिर्णायक अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो राज्य सरकार का अधिकारी है और इस तरह की शिकायतों की संख्या के संबंध में हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ड.) और (च) : जी, हां। इसका विवरण https://meity.gov.in/data.governance पर उपलब्ध है। समिति का कार्य चल रहा है और यह सक्रिय रूप से विभिन्न पणधारको के साथ सटीक है और उनसे परामर्श कर रही है।

(छ) : वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

******